दां.प्र.क. 770/22 शा. वि० लक्ष्मीनारायण यादव

Witness No.....03.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken

the.....08–04–2025.....day of.....Witness's apparent age.....39.....

States of affirmation.....शपथपूर्वक कथन.....my name is.....श्रीमती चंद्रकला सोन.....

Son of.....श्री कमलेश सोन.....occupation.....प्रधान आरक्षक.....

address.....रक्षित केन्द्र सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.).....

समय 12:45 बजे से ।

<u>राज्य द्वारा श्री अरविंद जायसवाल सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ।</u>

01– मै दिसंबर 2021 से 2023 तक थाना नगरदा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थी ।

02– मेरे द्वारा पदस्थापना के दौरान **दिनांक 30–09–2022** को मुखबीर से सूचना मिली **कि ग्राम सुंदरेली में आरोपी अपने कोला बाड़ी में अवैध रूप से हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बिक्री करने के प्रयोजन से रखा है ।** उक्त सूचना पर **गवाह रूपसिंह व नवधा सिंह** के समक्ष मुखबीर सूचना से अवगत कराते हुये पंचनामा तैयार किया था, जो **प्र०पी० 07** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । तत्पश्चात कार्यवाही मे शामिल होने के लिये **गवाह खेमसिंह व पंचराम** को धारा 160 का नोटिस दिया था, जो **प्र०पी० 01** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

03– मेरे द्वारा मौके पर आरोपी की तलाशी लेने पर **आरोपी से एक पीले रंग के 05 लीटर क्षमता के प्लास्टिक जरिकेन मे भरा 03 लीटर कच्ची महुआ शराब को** बरामद किया था । आरोपी को जप्तशुदा शराब के संबंध मे वैध दस्तावेज पेश करने हेतु आरोपी को धारा 91 का नोटिस दिया गया था, जो **प्र०पी० 02** है, जिसके स से स भाग पर मेरे और इ से इ भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर लिया गया है तथा द से द भाग पर आरोपी द्वारा कोई दस्तावेज नही होना लेखकर दिया गया । मेरे द्वारा मौके पर ही गवाहो के समक्ष आरोपी के कब्जे से बरामद शराब को जप्त किया गया, जप्ती पत्रक **प्र०पी० 03** है, जिसके स से स भाग पर मेरे और द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर लिया गया है ।

04– मेरे द्वारा अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक **प्र०पी० 04** तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर मेरे और द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर लिया गया है । मेरे द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्र०पी० 08** तैयार किया गया, जिसके अ से अ भाग पर मेरे और ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर लिया गया है । मेरे द्वारा मौके पर देहाती नाल्सी तैयार किया गया, जो **प्र०पी० 09** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा थाने आकर अपराध क्र. **148/2022** अंतर्गत धारा 34––1–क आबकारी अधिनियम में आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी थी, जो **प्र०पी० 10** है, जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

05– मैने गवाहो के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा प्रकरण मे जप्तशुदा शराब को मुलाहिजा हेतु आबकारी उपनिरीक्षक आबकारी वृत्त बाराद्वार को प्रस्तुत किया था, तहरीर **प्र०पी० 11** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा प्राप्त रिपोर्ट **प्र०पी० 12** को मेरे द्वारा प्रकरण मे संलग्न किया गया है । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त द्वारा श्री अजीत सिंह क्षत्रीय अधिवक्ता//

06– यह कहना सही है कि मैने मौके पर अन्य स्वतंत्र साक्षियो को गवाह नही बनाया है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अभियुक्त से किसी भी प्रकार की कोई शराब की जप्ती गवाहो के समक्ष नही किया गया है ।

07– यह कहना सही है कि कौन से वाहन से हम लोग गये थे उसका उल्लेख मैने नही किया है । यह कहना सही है कि मुखबीर सूचना टेलीफोनिक थी या मौखिक थी उसका उल्लेख मैने प्रथम सूचना पत्र में नही किया है । यह कहना भी सही है कि कौन कौन से जगहो पर मै कार्यवाही करने गया था, इसका उल्लेख भी नही किया हूँ । यह कहना गलत है कि साक्षियो को **धारा 160** का नोटिस नही दिया था । यह कहना सही है कि मैने गवाहो को **धारा 160** का नोटिस किस स्थान मे एवं किस समय एवं किसके समक्ष दिया है उसका उल्लेख नही है । यह कहना गलत है कि मैने गवाहो का

हस्ताक्षर कोरे कागजातो पर ले लिया था । यह कहना गलत है कि गवाहो के समक्ष कोई कार्यवाही नही किया है ।

08– यह कहना गलत है कि मैने गवाहो के समक्ष आरोपी से जप्ती पत्रक अनुसार शराब की जप्ती नही किया है । यह कहना सही है कि नजरी नक्शा तैयार करते समय मै **सरपंच, पंच एवं कोटवार व** अन्य लोगो का हस्ताक्षर नही लिया हूॅ । यह कहना सही है कि अभियुक्त को हम लोगो ने अपना जामा तलासी नही दिया था । यह कहना सही है कि अभियुक्त की जामा तलासी के पूर्व हम लोगो के पास क्या क्या सामग्रीया थी उसका पृथक से पंचनामा तैयार नही किया हूॅ । यह कहना सही है कि नजरी नक्शा में स्वतंत्र गवाहो का हस्ताक्षर नही लिया हूं । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा बनाये गये मुखबीर सूचना पंचनामा मे इस बात का उल्लेख नही किया गया है कि आरोपी कहा पर शराब विक्रय कर रहा था । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा बनाये गये घटना स्थल का नजरी नक्शा मे समय का उल्लेख नही किया गया है ।

09– यह कहना सही है कि गवाहो के कथन मे मेरे द्वारा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक का उल्लेख नही किया गया है । यह कहना सही है कि आरोपी को धारा 91 के नोटिस मे समय व स्थान का उल्लेख नही है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा घटना स्थल पर कोई देहाती नाल्सी नही बनाया गया है । यह कहना गलत है कि देहाती नालसी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज नही किया गया है । यह कहना गलत है कि मैने संपूर्ण कार्यवाही थाना मे ही बैठकर किया है ।

(प्रति परीक्षण समाप्ति समय 12:50 बजे)

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–
सुश्री शुभदा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
सुश्री शुभदा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)